।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला–दुर्ग ।।

प्ररूप–ङ

(नियम 7 (2) देखिये)

अनुमति

दुर्ग, दिनांक 21 / 04 / 2025

क्रमांक / 951 / प्र.02 / अ.वि.अ. / 2025

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग
मौजा–दुर्ग
तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0)

विषय :– वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

संदर्भ :– राजस्व प्रकरण क्रमांक 202504100400255 / अ–62 / सन् 2024–25.

.....00.....

विषयांतर्गत आपका पत्र दिनांक **05.02.2025** को इस न्यायालय में प्रेषित किया गया था। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक **21.03.2025** को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक **21.03.2025** प्राप्त हुआ।

आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार हैः–ग्राम कसारीडीह, रा.नि.मं. कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग में राजेन्द्र पार्क चौक में सड़क सुरक्षा हेतु रेनोवेशन कार्य में प्रभावित 01 नग बरगद, 03 नग कहुवा (अर्जुन), 02 गुण्डी, 02 नग शीशु, 09 नग पेल्टाफार्म, 03 नग नीलगिरी, 02 नग शु–बबूल सहित कुल 22 वृक्षों को रोड सेफ्टी अंतर्गत राजेन्द्र पार्क चौक में सड़क सुरक्षा हेतु रेनोवेशन कार्य में प्रभावित होने के कारण उक्त वृक्षों की कटाई / प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक होना, प्रतिवेदित किया है।

राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्ग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम कसारीडीह, रा.नि.मं. कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग में राजेन्द्र पार्क चौक में सड़क सुरक्षा हेतु रेनोवेशन कार्य में प्रभावित 01 नग बरगद, 03 नग कहुवा (अर्जुन), 02 गुण्डी, 02 नग शीशु, 09 नग पेल्टाफार्म, 03 नग नीलगिरी, 02 नग शु–बबूल सहित कुल 22 वृक्षों को रोड सेफ्टी अंतर्गत राजेन्द्र पार्क चौक में सड़क सुरक्षा हेतु रेनोवेशन कार्य में प्रभावित होने के कारण उक्त वृक्षों की कटाई / प्रतिस्थापन किये जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन परअनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
दुर्ग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 21 / 04 / 2025

पृ.क्रमांक / 952 / प्र. / अ.वि.अ. / 2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।
3. तहसीलदार, तहसील, दुर्ग को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग

Scanned with CamScanner